165 एच पी पी सी – इसकी सिफारिशों का कार्यान्वयन– गतिरोध वेतनवृद्धि–सी.डी.ए. पद्धति वाले कर्मचारी

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के तारीख 22.4.91 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि जहां कहीं भी गतिरोध वेतनवृद्धियां दी गई हैं, उन्हें पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के अलावा अन्य सभी प्रयोजनों के लिए वेतन माना जाना चाहिए। इसका प्रभाव यह होगा कि गतिरोध वेतनवृद्धियां महंगाई भत्ते, नगर प्रतिपूर्ति भत्ते, मकान किराए भत्ते तथा सेवानिवृत्ति लाभों जैसे समस्त प्रयोजनों के लिए हिसाब में ली जाएंगी।

2. सरकार ने इस मामले की पुनः जांच की है और अब यह निर्णय किया गया है कि उच्चतर पद पर पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण के लिए गतिरोध वेतन वृद्धि को हिसाब में लिया जाएगा। ये आदेश 30.9.93 से प्रभावी होंगे।

3. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे पूर्वोक्त को उन सभी सार्वजनिक उद्यमों के ध्यान में उनकी जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए लाए जो केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं।

(कार्यालय ज्ञापन सं. 2 (43)/93–डी.पी.ई. (डब्ल्यू.सी.), तारीख 15 मार्च, 1994)